



Office of the Accountant General (A&E),  
Andhra Pradesh and Telangana, Hyderabad – 500 004

PM/VI/2014-15/OG-GO/

05.2015

To  
The Director of Treasuries and Accounts  
Andhra Pradesh State  
4<sup>th</sup> floor Rajaram Building  
Tilak Road Abids  
Hyderabad  
Sir,

Sub:- Forwarding of grant of DR at 107% from 01.10.2014 to  
Chattisgarh pensioners. Amended as "from 01.07.2014"

Ref:- 1. Govt. of Chattisgarh Finance Department No.23/F-2013-  
04-00188/Fin/Rule/IV dt. 06.02.2015  
2. No Pension/DR/2984 dt. 20.04.2015 from the Accountant  
General (A&E) Chattisgarh.

\*\*\*

I am herewith enclosing copies of orders issued by the Chattisgarh Govt. and received under Special Seal Authority from by the Accountant General (A&E), Chattisgarh in the reference cited. The same is being placed in this office official website ([www.ag.ap.nic.in](http://www.ag.ap.nic.in)). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr. Accounts Officer

Copy To  
Joint Director,  
HQR Treasury, Tilak Road,  
Abids,  
Hyderabad

for information and necessary action.

✓  
Sr. Accounts Officer



८१०२, शिल्प का ८० कांची पर्याप्त वाहन विभाग / ८८१००-५०-८१०२-क्षण / ४९ क्र.पु  
**छत्तीसगढ़ शासन**  
**वित्त एवं योजना विभाग**  
**मंत्रालय,**  
**महानदी भवन, नया रायपुर**

क्रमांक 23 / एफ-2013-04-00188 / वि/नि/चार, नया रायपुर दिनांक 06 फरवरी, 2015  
 प्रति,

शासन के समर्त विभाग अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर समस्त संभागीय आयुक्त समस्त विभागाध्यक्ष समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़

**विषय:-** छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में।

**संदर्भ :-** इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 432/एफ-2013-04-00188 / वित्त/नियम / चार, नया रायपुर दिनांक 31 अक्टूबर, 2014

राज्य शासन के पेंशन भोगियों को वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 द्वारा दिनांक 01.10.2014 (माह अक्टूबर, 2014 का पेंशन/परिवार पेंशन जो माह नवम्बर, 2014 में देय होगी) से 107 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है।

2/ राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि मंहगाई राहत की दर में उक्त वृद्धि दिनांक 01.10.2014 के स्थान पर दिनांक 01.07.2014 (माह जुलाई, 2014 का पेंशन/परिवार पेंशन जो माह अगस्त, 2014 को देय होगी) से लागू की जाए।

3/ पेंशन भुगतान की अन्य शर्तें संदर्भित ज्ञापन के अनुरूप रहेंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
 तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

810003 देवर्ज, बिलासपुर, नया रायपुर, ओडिशा, भारत, 751003

050004 देवर्ज, बिलासपुर, नया रायपुर, ओडिशा, भारत

(६/०३/२०१५)

पृ.क्र. 24 /एफ-2013-04-00188 /वि/नि/चार, नया रायपुर दिनांक 06 फरवरी, 2015

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय बोदरी, पोस्ट ऑफिस-हाई कोर्ट ब्रांच, बिलासपुर (छ0ग0) पिन कोड-495220 ।
5. सचिव, लोक आयोग /छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग / राज्य सूचना आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, मंत्रालय, नया रायपुर ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ ।
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
10. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
11. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ0ग0, नया रायपुर ।
12. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छ0ग0, नया रायपुर ।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ।
14. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
15. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
19. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी/पेंशनर्स संगठन एवं समस्त सदस्य पेंशनर कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ ।
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
21. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नरमेंट एण्ड बैंक एकाउण्ट डिपाटमेंट, सी-7 बान्द्रा, कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बाक्स न. (पूर्व) मुंबई ।
22. समस्त मुख्य प्रबंधक/उप महाप्रबंधक/जोनल मैनेजर/चीफ मैनेजर/सहायक मुख्य प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ ।
23. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर ।
24. वित्त सचिव, आन्ध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद ।
25. वित्त सचिव, आसाम शासन, मंत्रालय, शिलांग 793001.
26. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना 800001.
27. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची 834002.
28. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम 695039
29. वित्त सचिव, तमிலनாடு शासन, मंत्रालय, சென்னை 600018.
30. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 400020.

31. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैंगलोर 560001.
32. वित्त सचिव, उड़ीसा शासन, मंत्रालय, भूवनेश्वर 751001.
33. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़ 160047.
34. वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला 171003.
35. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर 302001.
36. वित्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ 226001.
37. वित्त सचिव, जम्मू एवं कश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर 190001.
38. वित्त सचिव, मणिपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल 795001.
39. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला 799001.
40. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा.
41. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली 110001.
42. वित्त सचिव, गोवा दीव एवं दमन शासन, मंत्रालय पणजी गोवा 403101.
43. वित्त सचिव, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गंगटोक 71701.
44. वित्त सचिव, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादून.
45. वित्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल 462004.
46. महालेखाकार (लेखा / हक.) गुजरात, 5वीं मंजिल सी-ब्लाक,लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380001.
- 
47. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, राजकोट 360001.
48. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रप्रेदश हैदराबाद 500463.
49. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) आन्ध्रग्रन्देश हैदराबाद 500463.
50. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मंधालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, शिलांग 793001.
51. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मणिपुर, इम्फाल 795001.
52. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) बिहार, बीरचंद्र पटेल मार्ग पटना 800001.
53. प्रधान महालेखाकार-1(लेखा एवं हक.) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834002.
54. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरल पो. बाक्स न. 5607,तिरुवनन्तपुरम 695039.
55. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018.
56. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) तमिलनाडू, चेन्नई 600018.
57. महालेखाकार-1 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई 400020.
58. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001.
59. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बैंगलोर 560002.
60. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर 751001.
61. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब, चंडीगढ़ 160017.
62. महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा,लेखा भवन, चंडीगढ़ 160047.
63. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोर्टन कंसल भवन शिमला 171003.
64. महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) राजस्थान, भगवानदास मार्ग जयपुर 302001.
65. महालेखाकार-3 (लेखा एवं हक) उत्तरप्रदेश लखनऊ 226001.
66. महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक.) उत्तरप्रदेश इलाहाबाद 211001.

67. प्रमुख महालेखाकार-2 (लेखा एवं हक) पश्चिम बंगाल ट्रेजरी विल्डिंग कोलकाता 700001.

68. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर 190001.

69. वरिष्ठ महालेखाकार (लेखा एवं हक) त्रिपुरा, अगरतला 799001.

70. वरिष्ठ उप महालेखाकार, (लेखा एवं हक.) नागालैण्ड, कोहिमा 797001.

71. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक हक.) सिक्किम लाकार भवन गंगटोक

72. संचालक,लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन दीव पोस्ट पणजी गोवा 403101

73. महालेखागार,मध्यप्रदेश ग्वालियर ।

74. प्रमुख वेतन एवं लेखाधिकारी, दिल्ली प्रशासन,विकास भवन, नई दिल्ली

75. नियंत्रक लेखा,विदेश मंत्रालय,केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली ।

76. नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत शासन, नई दिल्ली ।

77. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

~~ज्योति ठाकुर सोरी~~ 06/02/15  
(ज्योति ठाकुर सोरी)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

# कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर

पंजीकृत/विशेष मूद्रा प्राधिकार/

क्र: पेन्शन/राहत/ 2984

प्रति,

दिनांक: 20/4/2015

- 01 वेतन एवं लेखा कार्यालय, पेंशन कार्यालय क्र-5, कोषालय भवन, तीज हजारी कोर्ट काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110124
- 02 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) आंध्र प्रदेश, सैफाबाद, हैदराबाद-500463
- 03 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) अरुणाचल प्रदेश, इटा नगर-791111
- 04 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) असम, गुवाहाटी, मैदामगांव बेलटोला, गुवाहाटी-781029
- 05 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)- 11. बिहार, पटना, बीर चंद पटेल पथ, पटना-800001
- 06 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) गुजरात, रेस कोर्स रोड, राजकोट-360001
- 07 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं.-4 एवं 5, सेक्टर 33-बी, चंडीगढ़-160047
- 08 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) हिमाचल प्रदेश, गोरटोन कैसल बिल्डिंग, शिमला-171003
- 09 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) जम्मू कश्मीर, एग्ज़ीबीशन ग्राउन्ड के निकट, श्रीनगर-190009
- 10 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड, पी.ओ.-जोरंडा, रॉची-834002
- 11 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कर्नाटक, पार्क हाउस रोड, पो.बॉ.-5329 / 5369 बैंगलोर-560001
- 12 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) केरला, पो.बॉ.-5607, एम.जी. रोड, तिरुवनंथपुरम-695039
- 13 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)- 11 मध्य प्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर-474002
- 14 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कारवे मार्ग, पुरानी सी.जी.ओ. बिल्डिंग, एन.मैरीन लाईन्स, मुंबई
- 15 महालेखाकार (लेखा एवं हक.)- 11 महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर-440001
- 16 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मनिपुर, इम्फाल-795001
- 17 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मेघालय, शिलाँग-793001
- 18 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) मिजोरम, श्री बुआलहरंगा बिल्डिंग दिनथर, ऐज़वल-796001
- 19 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) नागालैंड, कोहिमा-797001
- 20 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उड़ीसा, भुवनेश्वर-751001
- 21 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) पंजाब एवं चंडीगढ़, सेक्टर 17-ई, चंडीगढ़-160017
- 22 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जनपथ जयपुर-302005
- 23 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) सिकिम, लेखा परीक्षा भवन देवराली पी.ओ.-टाडोंग, गंगटॉक-737102
- 24 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) तामिलनाडु, 361 अन्ना सलाई टेयनामपेट, चेन्नई-600018
- 25 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखा एवं हक.) त्रिपुरा, पी.आ.-कुंजाभवन, अगरतला-799006
- 26 वरिष्ठ उप महालेखाकार (लोकल बॉडी लेखापरीक्षा एवं लेखा) उत्तरांचल, देहरादून ऑबेराय मोटर बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171
- 27 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तर प्रदेश, 20, सरोजिनी नाईडु मार्ग, इलाहाबाद-211001
- 28 महालेखाकार (लेखा एवं हक.) वेस्ट बैंगॉल, कोषालय भवन क्रमांक-2, गवर्नर्मेंट प्लेस (वेस्ट) कोलकता-700001
- 29 कन्द्रोलर ऑफ अकाउन्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफैस, तीसरी मंजिल, अकबर भवन नई दिल्ली
- 30 डाइरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स, पेंशन अनुभाग, पानाजी, गोवा
- 31 डाइरेक्टर ऑफ अकाउन्ट्स एवं ट्रेजरी, पांडीचेरी सरकार, पांडीचेरी

विषय: छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में एवं छ.ग. वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अंतर्गत प्रत्याशित पेंशन/पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को मंहगाई राहत।

संदर्भ: छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग का निर्देश (03/2015) क्रमांक: 23/एफ-2013-04-00188/वि/नि/चार दिनांक: 06/02/2015 एवं निर्देश (05/2015) क्रमांक: 27/एफ-2013-04-00188/वित्त/नियम/चार दिनांक: 06/02/2015।

संदर्भित निर्देशों, जो की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं, का पालन करने एवं अपने अधिनस्थ सभी कोषालयों एवं बैंकों को अपने स्तर से सूचित करने हेतु प्रेषित। कृपया इसकी पावती भेजने का कष्ट करें।

संलग्न: संदर्भित निर्देशों की प्रतियां।

पृ.क्र: पेन्शन/राहत/

- छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन-नया रायपुर को उनके संदर्भित निर्देशानुसार आगामी कार्यवाही की सूचना।
- संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर लेख है कि कृपया सुनिश्चित करें की सभी कोषालयों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पेंशनरों को उपरोक्तानुसार भुगतान किया जा रहा है।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

दिनांक:

SD

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/पी.ए.

OOF

